4800
21/08/2017

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 18 अगस्त, 2017

विधि
......अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना / संशोधन

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120)/xxvii(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात –

2. उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची I – 2.5% में क्रम संख्या 35 के स्तम्भ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
35	0901	काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं, काफी की भूसी और छिलका; काफी के अनुकल्प, जिनमें किसी भी अनुपात में काफी है [काफी बीज, जो भर्जित नहीं है, से भिन्न]

(ii) अनुसूची I – 2.5% में क्रम संख्या 103 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य,सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]

(iii) अनुसूची I – 2.5% में क्रम संख्या 165 के स्तम्भ (2) में अंक 2710 19 00 के स्थान पर अंक 2711 19 00 रख दिए जायेंगे;
(iv) अनुसूची I – 2.5% में क्रम संख्या 234 के स्तम्भ (2) में अंक 84 या 85 के स्थान पर अंक 84, 85 या 94 रख दिए जायेंगे;

(v) अनुसूची II – 6% में क्रम संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
16(अ)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल

22/08/2017